4/3/21 वकुलाय अनु०।

अधिवक्ता इश्तहार वादी पेश करने हेतु लगातार अवसर-चाहते रहे हैं आज भी अनुपस्थित घोषित पर अधिवक्ता मय वादी को बार बार-रुक रुक कर आवाज लगाई गई। लेकिन पक्षकार की अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद अन्तर्गत धारा 88, 92 व 53 R.T. Act 1955 अदम पैरवी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

AC Jasol